NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 12-03-2026

विषय सूची

माता-पिता की आय को ही क्रीमी लेयर निर्धारित करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता: सर्वोच्च न्यायालय

प्रचुर कोयला भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान कर रहे हैं

भारत में अनुपयोगित नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत ग्रिड की बाधाएँ

अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष (IYWF 2026)

भारत एलपीजी की कमी का सामना क्यों कर रहा है?

भूमि-साझा सीमा वाले देशों (LBCs) से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मानदंडों में परिवर्तन

संक्षिप्त समाचार

सावित्रीबाई फुले

कुरुम्बा चित्रकला

वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026

राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड (NSB)

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा 400 मिलियन बैरल आपातकालीन तेल जारी

तेहरान में 'ब्लैक रेन'

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

माता-पिता की आय को ही क्रीमी लेयर निर्धारित करने का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता: सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 'क्रीमी लेयर' का निर्धारण केवल अभिभावकों की आय, विशेषकर वेतन आय, के आधार पर नहीं किया जा सकता।
- न्यायालय ने कहा कि बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार करना शत्रुतापूर्ण भेदभाव है, जो संविधान में निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

मामले की पृष्ठभूमि

- **सिविल सेवा परीक्षा विवाद:** यह मुद्दा उन विवादों से उत्पन्न हुआ जिनमें अभ्यर्थियों ने सिविल सेवा परीक्षा में OBC गैर-क्रीमी लेयर का दावा किया।
  - कई अभ्यर्थियों ने तर्क दिया कि उन्हें गलत तरीके से क्रीमी लेयर में रखा गया क्योंकि उनके माता-पिता सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (PSUs), बैंकों और निजी क्षेत्र में कार्यरत थे।
- मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय सहित कई उच्च न्यायालयों ने इन दावों को स्वीकार किया तथा अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय दिया।
- केंद्र सरकार ने इन निर्णयों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसने अंततः उच्च न्यायालयों के निर्णयों को बरकरार रखा।

OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर: विधिक ढाँचा

- **क्रीमी लेयर की अवधारणा का उद्गम:** यह अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय ने *इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992)* मामले में प्रस्तुत की थी।
  - न्यायालय ने कहा कि OBC वर्ग के सामाजिक रूप से उन्नत व्यक्तियों को आरक्षण लाभ से बाहर रखा जाना चाहिए ताकि लाभ वास्तविक रूप से पिछड़े वर्गों तक पहुँचे।
- **कार्यालय ज्ञापन (OM), 1993:** इंद्रा साहनी निर्णय को लागू करने हेतु भारत सरकार ने 8 सितंबर 1993 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया। मुख्य प्रावधान थे:
  - OBC में क्रीमी लेयर की पहचान;
  - सामाजिक स्थिति, व्यवसाय और आय पर आधारित मानदंड;
  - वेतन आय और कृषि आय को आय/संपत्ति परीक्षण से बाहर रखा गया;
  - निर्धारण अभिभावकों की स्थिति और पदों की श्रेणी (ग्रुप A, B, C, D) पर आधारित था।
- **स्पष्टीकरण पत्र, 2004:** इसने व्याख्या को बदल दिया। इसमें निर्देश दिया गया कि PSUs और निजी क्षेत्र में कार्यरत अभिभावकों की वेतन आय को क्रीमी लेयर निर्धारण में शामिल किया जाए। इसके परिणामस्वरूप:
  - समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ भिन्न व्यवहार;
  - सरकारी कर्मचारियों की वेतन आय को बाहर रखा गया;
  - PSU/निजी क्षेत्र की वेतन आय को शामिल किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख टिप्पणियाँ

- **केवल आय से क्रीमी लेयर का निर्धारण नहीं:** न्यायालय ने कहा कि अभिभावकों की वेतन आय अकेले क्रीमी लेयर निर्धारण का आधार नहीं हो सकती।
  - निर्धारण में अभिभावकों की स्थिति, रोजगार का स्वरूप और पदों की श्रेणी को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।
- **समानता का सिद्धांत:** न्यायालय ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और PSU/निजी क्षेत्र कर्मचारियों के बच्चों के बीच भिन्न व्यवहार संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन है।
- **क्रीमी लेयर का उद्देश्य:** न्यायालय ने दोहराया कि इसका उद्देश्य OBC वर्ग के सामाजिक रूप से उन्नत वर्गों को आरक्षण लाभ पर एकाधिकार करने से रोकना है, न कि कृत्रिम भेदभाव सृजित करना।

संवैधानिक सिद्धांत

- **कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14):** समान स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार की गारंटी।
- **भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15):** पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान संभव, परंतु नीतियाँ तार्किक और गैर-मनमानी होनी चाहिए।
- **सार्वजनिक रोजगार में समानता (अनुच्छेद 16):** समान अवसर की गारंटी, साथ ही अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण।

निर्णय का महत्व

- **क्रीमी लेयर निर्धारण स्पष्ट:** न्यायालय ने दोहराया कि केवल आय पर्याप्त नहीं है; सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति भी देखी जानी चाहिए।
- **भेदभावपूर्ण व्याख्या समाप्त:** 2004 के स्पष्टीकरण से उत्पन्न असमानता को दूर किया गया।
- **समानता के सिद्धांत को सुदृढ़ किया:** मनमाने वर्गीकरण को रोककर संवैधानिक समानता को सुदृढ़ किया।
- **सिविल सेवा परीक्षाओं पर प्रभाव:** UPSC अभ्यर्थियों के लिए OBC गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणन पर सीधा प्रभाव, जिससे आरक्षण पात्रता का संतुलित निर्धारण सुनिश्चित हुआ।

निष्कर्ष

- सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारत में आरक्षण संबंधी न्यायशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विकास है।
- न्यायालय ने संविधान की समानता और सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया, यह कहते हुए कि क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आय से नहीं किया जा सकता तथा समान स्थिति वाले कर्मचारियों के बच्चों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।
- यह निर्णय सुनिश्चित करता है कि आरक्षण का उद्देश्य — वास्तविक रूप से पिछड़े वर्गों का उत्थान — कृत्रिम या भेदभावपूर्ण वर्गीकरण के बिना कायम रहे।

Source: IE

प्रचुर कोयला भंडार भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ता प्रदान कर रहे हैं

संदर्भ

- कोयला मंत्रालय ने बताया है कि भारत के पास वर्तमान में लगभग 210 मिलियन टन (MT) का कुल कोयला भंडार है, जो लगभग 88 दिनों की खपत के लिए पर्याप्त माना जाता है।

परिचय

- भारत, जिसके पास विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा कोयला भंडार है और जो दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कोयले पर अत्यधिक निर्भर है।
- भारत की ऊर्जा मिश्रण में कोयले का योगदान 55% है और यह देश की 74% से अधिक विद्युत उत्पादन को संचालित करता है।
- पर्याप्त कोयला भंडार उच्च मांग के समय निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं और वैश्विक ऊर्जा बाजार की अस्थिरता तथा प्राकृतिक गैस जैसे वैकल्पिक ईंधन की अनिश्चितताओं के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं।

वर्तमान कोयला भंडार स्थिति

- भारत का कुल कोयला भंडार लगभग 210 MT है, जो राष्ट्रीय मांग को लगभग 88 दिनों तक पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- ताप विद्युत संयंत्रों में वर्तमान में लगभग 54.05 MT कोयला उपलब्ध है, जो वर्तमान दर पर लगभग 24 दिनों की खपत के लिए पर्याप्त है।
- खदान स्थल पर उपलब्ध कुल कोयला भंडार लगभग 156.58 MT है।

कोयला आपूर्ति से संबंधित प्रमुख शब्द

- **पिटहेड कोयला:** वह कोयला जो खदान स्थल पर निकाला और संग्रहित किया जाता है, जिसे बाद में विद्युत संयंत्रों या अन्य उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जाता है।

- **गैर-नियंत्रित क्षेत्र (NRS):** इसमें सीमेंट, इस्पात, स्पंज आयरन और कैप्टिव पावर प्लांट जैसे औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं, जो नियंत्रित विद्युत क्षेत्र आवंटन ढाँचे से बाहर कोयला प्राप्त करते हैं।

सरकारी पहल

- **वाणिज्यिक कोयला खनन:** निजी क्षेत्र को शामिल कर उत्पादन, दक्षता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया गया।
- **मिशन कोकिंग कोल:** घरेलू कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ाकर आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य।
- **सुरक्षा उपाय:** खान सुरक्षा महानिदेशालय ने कोयला खान विनियम 1957 को संशोधित कर 2017 में नया विनियम लागू किया, जिसमें आधुनिकीकरण, यंत्रीकरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजना शामिल है।
- **कोल मित्र पोर्टल:** विद्युत संयंत्रों को लचीला कोयला आवंटन सुनिश्चित करने हेतु विकसित किया गया, जिससे बेहतर आपूर्ति प्रबंधन हो सके।

चुनौतियाँ

- प्रचुर भंडार स्तरों के बावजूद भारत की कोयले पर भारी निर्भरता पर्यावरणीय चिंताएँ उत्पन्न करती है, विशेषकर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और वायु प्रदूषण के संदर्भ में।
- कोयला उत्पादन का निरंतर विस्तार भारत की दीर्घकालिक जलवायु प्रतिबद्धताओं, जैसे 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन लक्ष्य, से टकराता है।
- परिवहन अवरोध, लॉजिस्टिक अक्षमताएँ और मौसमी व्यवधान विद्युत संयंत्रों तक समय पर कोयला आपूर्ति को प्रभावित करते हैं।

निष्कर्ष

- कोयला क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास का केंद्रीय स्तंभ बना हुआ है, जो विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति एवं औद्योगिक वृद्धि को सुनिश्चित करता है।
- कोयला उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखलाओं और तकनीकी प्रगति को सुदृढ़ करना भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

कोयले का वर्गीकरण

- **एंथ्रासाइट:** सर्वोत्तम गुणवत्ता का कोयला, जिसमें 80–95% कार्बन होता है और उच्चतम ऊष्मीय मान होता है। यह जम्मू और कश्मीर में अल्प मात्रा में पाया जाता है।
- **बिटुमिनस:** इसमें 60–80% कार्बन और कम आर्द्रता होती है। यह व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है और उच्च ऊष्मीय मान रखता है। यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
- **लिग्नाइट:** प्रायः भूरा होता है, इसमें 40–55% कार्बन होता है। इसमें उच्च आर्द्रता होती है, जिससे जलने पर धुआँ निकलता है। यह राजस्थान, लखीमपुर (असम) और तमिलनाडु में पाया जाता है।
- **पीट:** इसमें 40% से कम कार्बन होता है। इसका ऊष्मीय मान कम होता है और यह लकड़ी की तरह जलता है।

कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)

- CIL कोयला मंत्रालय के अधीन एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।
- **स्थापना:** नवंबर 1975।
- **मुख्यालय:** कोलकाता।
- **उत्पाद:** कोकिंग कोल, अर्ध-कोकिंग कोल, गैर-कोकिंग कोल, धुला एवं परिष्कृत कोल, कोल फाइन्स और कोक।
- **प्रशिक्षण:** CIL के पास 21 प्रशिक्षण संस्थान और 76 व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हैं।
- **रणनीतिक महत्व:** यह कुल घरेलू कोयला उत्पादन का 80% और कुल कोयला आधारित विद्युत उत्पादन का 75% योगदान करता है।

Source: TH

भारत में अनुपयोगित नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत ग्रिड की बाधाएँ

संदर्भ

- भारत क्लाइमेट फ़ोरम 2026 में ऊर्जा विशेषज्ञों ने एक गंभीर जोखिम पर प्रकाश डाला कि भारत में नवीकरणीय

ऊर्जा उत्पादन तीव्र गति से बढ़ रहा है, लेकिन ग्रिड और संस्थागत बाधाएँ इसके कुशल उपयोग को रोक रही हैं।

भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र

- नवंबर 2025 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 253.96 गीगावाट (GW) तक पहुँच गई, जो 2024 की 205.52 GW क्षमता से 23% से अधिक वृद्धि दर्शाती है।
- सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता 132.85 GW तक पहुँच गई, इसके बाद पवन ऊर्जा लगभग 53.99 GW रही।
- **भारत की वैश्विक स्थिति:**
  - सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है।
  - पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत चौथे स्थान पर है।
  - कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है।
- राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक भारत के अग्रणी राज्य हैं।
- भारत ने 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।

भारत की नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण की चुनौतियाँ

- **प्रेषण भीड़भाड़ और अनुपयोगित ऊर्जा:** राजस्थान में लगभग 23 GW नवीकरणीय क्षमता स्थापित की गई है, लेकिन ग्रिड निकासी क्षमता केवल 18.9 GW है, जिससे लगभग 4000 MW ऊर्जा चरम सौर घंटों में अनुपयोगित रहती है।
- **असमान कटौती:** स्थायी सामान्य नेटवर्क एक्सेस (GNA) वाले प्रोजेक्ट सामान्य रूप से ऊर्जा संचारित करते रहते हैं, जबकि अस्थायी GNA (T-GNA) वाले प्रोजेक्ट प्रायः चरम घंटों में पूरी तरह बंद हो जाते हैं। इससे निवेशकों को वित्तीय हानि होती है।
- **प्रेषण अवसंरचना का अपर्याप्त उपयोग:** उच्च क्षमता वाली 765 kV लाइनों को लगभग 6000 MW बिजली निकासी के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन वास्तविकता में कई केवल 600–1000 MW पर संचालित होती हैं।
  - इन परियोजनाओं में प्रति कॉरिडोर ₹4000–₹5000 करोड़ का निवेश होता है, जिसका भार अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है।
- **संस्थागत और प्रशासनिक मुद्दे:** ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड मुख्यतः ग्रिड स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन प्रेषण परिसंपत्तियों के कम उपयोग को संबोधित करने के लिए कोई स्पष्ट मानक या समीक्षा तंत्र नहीं है।
- **तकनीकी बाधाएँ:** ग्रिड ऑपरेटर तेज़ी से नवीकरणीय ऊर्जा प्रवाह बढ़ने पर वोल्टेज अस्थिरता और ग्रिड अस्थिरता जैसे जोखिमों का उदाहरण देते हैं।
  - STATCOMs, रिएक्टिव पावर कम्पेन्सेटर्स और उन्नत सुरक्षा प्रणालियाँ इन समस्याओं को हल कर सकती हैं, लेकिन पर्याप्त पैमाने पर लागू नहीं की गई हैं।

स्वच्छ ऊर्जा उपयोग सुधार हेतु सरकारी पहल

- **ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (GEC):** नवीकरणीय ऊर्जा को उत्पादन स्थलों से माँग केंद्रों तक कुशलतापूर्वक पहुँचाने हेतु प्रेषण अवसंरचना को सुदृढ़ करना।
- **पीएम-कुसुम योजना:** ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंप और ग्रिड-संलग्न सौर संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देना।
- **राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन:** रिफाइनिंग, इस्पात और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने हेतु हरित हाइड्रोजन उत्पादन एवं उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टाइक (PV) मॉड्यूल और उन्नत बैटरी भंडारण प्रणालियों के घरेलू निर्माण हेतु वित्तीय प्रोत्साहन।
- **नवीकरणीय ऊर्जा हाइब्रिड नीति:** एक ही स्थान पर सौर और पवन ऊर्जा संयोजन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना ताकि क्षमता उपयोग एवं विश्वसनीयता बढ़े।

आगे की राह

- ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड का दायित्व केवल ग्रिड स्थिरता तक सीमित न रहकर प्रेषण परिसंपत्तियों के इष्टतम उपयोग को भी शामिल करना चाहिए।
- कटौती सभी उत्पादकों में समानुपातिक रूप से वितरित की जानी चाहिए ताकि न्यायसंगतता बनी रहे।
- उन्नत ग्रिड प्रबंधन तकनीकों का उपयोग बढ़ाकर उच्च स्तर की नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करना आवश्यक है।
- केंद्रीय प्रेषण उपयोगिता ऑफ इंडिया लिमिटेड और ग्रिड ऑपरेटरों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।

Source: TH

अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष (IYWF 2026)

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने वर्ष 2026 को **अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष (IYWF 2026)** घोषित किया है।

परिचय

- **कार्यबल परिवर्तन:** ग्रामीण पुरुष गैर-कृषि नौकरियों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाएँ कृषि में उनका स्थान ले रही हैं।
- **महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि:**
  - एक दशक में कृषि में महिलाओं का रोजगार 135% बढ़ा।
  - महिलाएँ अब कृषि कार्यबल का 42% हिस्सा हैं।
  - हर तीन कामकाजी महिलाओं में से दो कृषि में संलग्न हैं।
  - यह अनुपात अभी भी वैश्विक स्तर से कम है, जहाँ अधिकांश देशों में महिलाओं की कार्य भागीदारी 57%-63% के बीच है।
- वर्ष 2023-24 में कम से कम 117.6 मिलियन महिलाएँ कृषि में कार्यरत थीं (21.7 मिलियन नियोजित श्रमिक, 95.1 मिलियन स्वरोज़गार और 0.8 मिलियन नियमित श्रमिक)।
  - अनुमानित पुरुष कार्यबल कृषि में 127.5 मिलियन था।
- **आर्थिक प्रभाव:** महिलाओं की अधिक भागीदारी के बावजूद कृषि का राष्ट्रीय सकल मूल्य वर्धन (GVA) में हिस्सा 2017-18 के 15.3% से घटकर 2024-25 में 14.4% रह गया।

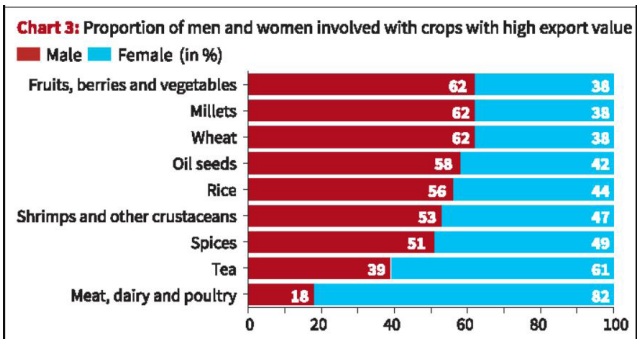

कृषि में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ

- **अवैतनिक श्रम:** लगभग आधी महिलाएँ कृषि में अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक हैं। उनकी संख्या आठ वर्षों में 23.6 मिलियन से बढ़कर 59.1 मिलियन हो गई।
  - बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 80% से अधिक महिलाएँ कृषि में कार्यरत हैं तथा उनमें से आधी से अधिक को कोई वेतन नहीं मिलता।
- **प्रणालीगत असमानताएँ:** महिलाएँ केवल 13-14% भूमि की मालिक हैं और समान कार्य के लिए पुरुषों से 20-30% कम कमाती हैं।
  - संपत्ति स्वामित्व, निर्णय लेने की शक्ति, ऋण और सरकारी सहायता तक पहुँच पुरुष-प्रधान है।
- **डिजिटल विभाजन:** डिजिटल साक्षरता, भाषा और उपकरणों की लागत जैसी बाधाएँ आधुनिक कृषि बाज़ारों में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करती हैं।
- इस प्रकार, कृषि का स्त्रीकरण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के बजाय असमानताओं को बेहतर कर रहा है।

उभरते अवसर

- **उच्च-मूल्य खंड:** जैविक उत्पादों और सुपरफूड्स की वैश्विक मांग बढ़ने से भारत की चाय, मसाले, मिलेट्स

एवं प्रमाणित जैविक उत्पादों की मूल्य श्रृंखलाएँ विस्तार के लिए तैयार हैं।

- भौगोलिक संकेतक (GI), ब्रांडिंग पहल और निर्यात मानकों को पूरा करने में सहायता महिलाओं को आत्मनिर्भर खेती से प्रीमियम, मूल्य-वर्धित उत्पाद बाज़ारों की ओर ले जा सकती है।

- **डिजिटल नवाचार:** ई-नाम, मोबाइल आधारित परामर्श सेवाएँ, वॉयस-असिस्टेड एप्लिकेशन और प्रिसीजन एग्रीकल्चर उपकरण महिलाओं को बाज़ारों, ज्ञान प्रणालियों एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ रहे हैं।
  - ये समाधान महिलाओं के श्रम को औपचारिक रूप देते हैं और योजनाओं, ऋण तथा उचित मूल्य तक पहुँच का विस्तार करते हैं।

महिलाओं के लिए सरकारी पहल

- **महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP):** राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत महिलाओं को सतत कृषि, पशुधन और गैर-लकड़ी वन उत्पादों में सहयोग।
- **संयुक्त भूमि शीर्षक:** राज्यों को पति-पत्नी के संयुक्त नाम से भूमि पट्टा जारी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- **प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL):** महिला किसानों को ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।
- **ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) और उत्पादक संगठन (FPOs):** NABARD और DAY-NRLM के माध्यम से सहयोग।
- **कृषि-परामर्श एवं कृषि-व्यवसाय केंद्र (ACABC):** महिला कृषि उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान।
- **डिजिटल साक्षरता:** डिजिटल सखी, भाषिनी प्लेटफ़ॉर्म जैसी पहलें।
- **मातृत्व लाभ एवं स्वास्थ्य योजनाएँ:** महिला किसानों के कल्याण हेतु अप्रत्यक्ष सहयोग।
- **महिला FPOs का समर्थन:** 10,000 FPO योजना (2020) के अंतर्गत महिला-नेतृत्व वाले समूहों के लिए विशेष प्रावधान।
- **GI टैग, ब्रांडिंग और निर्यात सुविधा:** मसाले, चाय, मिलेट्स और जैविक उत्पादों में महिला उत्पादकों को सहयोग।

आगे की राह

- लक्षित उपायों के बिना महिलाएँ भारतीय कृषि में उभरते निर्यात-आधारित अवसरों से बाहर रह सकती हैं।
- महिलाओं की भूमिका को परिवर्तित करने के लिए भूमि और श्रम सुधार समान रूप से आवश्यक हैं।
- नीतियों को महिलाओं को स्वतंत्र किसान के रूप में मान्यता देनी चाहिए, संयुक्त या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे उनकी ऋण, बीमा और संस्थागत सहयोग के लिए पात्रता सुदृढ़ हो सके।

Source: TH

भारत एलपीजी की कमी का सामना क्यों कर रहा है?

संदर्भ

- पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता सहित भारत के कई शहरों में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की आपूर्ति में व्यवधान की खबरें सामने आ रही हैं।

एलपीजी के बारे में

- तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) एक अत्यधिक ज्वलनशील, ऊर्जा-समृद्ध तथा स्वच्छ रूप से जलने वाला ईंधन है, जो मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बनता है।
- यह कच्चे तेल के परिशोधन (refining) या प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण (processing) के दौरान प्राप्त होती है और इसे घरेलू खाना पकाने, हीटिंग तथा वाहनों में उपयोग के लिए स्टील सिलेंडरों में दाब के तहत तरल रूप में संग्रहित किया जाता है।
- इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) जैसी तेल विपणन कंपनियाँ भारत की कुल एलपीजी आवश्यकता का लगभग 40 प्रतिशत उत्पादन करती हैं।

आपूर्ति में व्यवधान क्यों?

- **भू-राजनीतिक जोखिम:** भारत अपनी कुल एलपीजी खपत का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है। इन आयातों में से लगभग 90 प्रतिशत होरमुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के माध्यम से आते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिका और इज़राइल के ईरान के साथ संघर्ष के कारण इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने से आपूर्ति प्रभावित हुई है।

- **अवसंरचनात्मक कमजोरी :** भारत की एलपीजी आपूर्ति प्रणाली मुख्यतः निरंतर परिचालन प्रवाह (continuous operational flow) के आधार पर विकसित की गई है, न कि बड़े पैमाने पर भंडारण के लिए। दीर्घकालिक भंडारण के लिए वर्तमान में देश में केवल दो भूमिगत एलपीजी भंडारण गुफाएँ (storage caverns) हैं—
  - मंगलुरु
  - विशाखापट्टनम
    - इनकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 1.4 लाख टन है, जो राष्ट्रीय खपत की तुलना में सीमित है।
- **घरेलू मांग में वृद्धि :** अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार भारत का एलपीजी आयात 2011-12 से 2024-25 के बीच तीन गुना बढ़कर लगभग 20 मिलियन टन हो गया है।इस वृद्धि का एक प्रमुख कारण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) है, जिसके अंतर्गत 2017 से अब तक लगभग 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में भारत में लगभग 33 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन हैं।

एलपीजी की कमी के प्रभाव

- **घरेलू क्षेत्र पर प्रभाव:** भारत में एलपीजी की कुल खपत का लगभग 87 प्रतिशत घरेलू क्षेत्र में उपयोग होता है, मुख्यतः रसोई में भोजन पकाने के लिए।
- **औद्योगिक प्रभाव**
  - कई उद्योग—जैसे
  - वस्त्र उद्योग
  - खाद्य प्रसंस्करण उद्योग
  - औषधि उद्योग
  - कृषि उपकरण निर्माण
  - अपने बॉयलरों में हीटिंग, स्टेरिलाइजेशन और रंगाई जैसी प्रक्रियाओं के लिए एलपीजी का उपयोग करते हैं।
    - इसके अतिरिक्त रेस्तरां, होटल और कैटरिंग सेवाएँ भी वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों पर अत्यधिक निर्भर हैं।
- **आपूर्ति शृंखला और परिवहन लागत :** सामान्यतः खाड़ी बंदरगाहों से भारत तक की यात्रा लगभग चार दिन में पूरी हो जाती है। किन्तु यदि जहाज संघर्ष क्षेत्र से बचने के लिए अफ्रीका के चारों ओर से मार्ग बदलते हैं, तो यह यात्रा लगभग 25 दिनों तक बढ़ सकती है। ऐसे मार्ग परिवर्तन से भाड़ा शुल्क और बीमा प्रीमियम बढ़ जाते हैं, जिससे एलपीजी आयात की कुल लागत में वृद्धि होती है।
- **व्यापक आर्थिक प्रभाव :** भारत विश्व में एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में प्रत्येक 10 डॉलर की वृद्धि से भारत के चालू खाते के घाटे (Current Account Deficit) में लगभग 9 अरब डॉलर की वृद्धि हो सकती है, जिससे देश के बाह्य संतुलन पर दबाव बढ़ता है।

सरकारी प्रतिक्रिया

- सरकार ने उभरती कमी को प्रबंधित करने और आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं।
  - आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) लागू कर घरेलू उपभोक्ताओं, अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी गई है।
  - कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक वितरण पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
  - रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
  - राज्य सरकारों को एलपीजी आपूर्ति शृंखला की सुरक्षा और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
- इसके साथ ही भारत अपनी ऊर्जा खरीद को विविधीकृत करने का प्रयास कर रहा है और किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के लिए विश्व के 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है।

आगे की राह

- उभरती एलपीजी कमी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से भरी दुनिया में ऊर्जा सुरक्षा की व्यापक चुनौती को उजागर करती है।
- यद्यपि भारत ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एलपीजी की पहुँच में उल्लेखनीय विस्तार किया है, फिर भी देश वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति शृंखलाओं में व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है।
- इस संदर्भ में निम्न उपाय महत्वपूर्ण होंगे—
  - रणनीतिक एलपीजी भंडारण क्षमता को सुदृढ़ करना
  - ऊर्जा आयात स्रोतों का विविधीकरण करना
  - वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा देना
- ये कदम भारत के करोड़ों घरों और व्यवसायों के लिए स्थिर, सुरक्षित और सतत ऊर्जा उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

Source: TH

भूमि-साझा सीमा वाले देशों (LBCs) से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) मानदंडों में परिवर्तन

समाचार में

- भारत सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) ढाँचे में भूमि-साझा सीमा वाले देशों (LBCs) से आने वाले निवेशों से संबंधित परिवर्तन किए हैं, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और व्यापार सुगमता व निवेश प्रवाह के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।

प्रमुख परिवर्तन

- **'लाभकारी स्वामी' (Beneficial Owner - BO) का निर्धारण:** संशोधन में लाभकारी स्वामित्व की परिभाषा और मानदंड दिए गए हैं, जो निवेश समुदाय द्वारा व्यापक रूप से प्रयुक्त होते हैं, और धन शोधन निवारण नियम, 2005 के अंतर्गत मान्य हैं। यह परीक्षण निवेशक इकाई स्तर पर लागू होगा।
- **निवेश हेतु सरल मानदंड:** भूमि-साझा सीमा वाले देशों (LBCs) से आने वाले गैर-नियंत्रक निवेशक, जिनकी किसी कंपनी में हिस्सेदारी 10% से कम है, अब स्वचालित मार्ग (Automatic Route) से निवेश कर सकते हैं।
  - पूर्व नियम के अनुसार LBCs से आने वाले किसी भी निवेश के लिए स्वामित्व प्रतिशत की परवाह किए बिना पूर्व सरकारी अनुमोदन आवश्यक था।
- **त्वरित 60-दिवसीय अनुमोदन समयसीमा:** कुछ क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावों को 60 दिनों के अंदर स्वीकृति दी जाएगी।
  - उदाहरण: पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, तथा पॉलीसिलिकॉन और इन्गट-वेफ़र उत्पादन (जो सौर मूल्य श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण हैं)।

लाभ

- नए दिशा-निर्देश भारत में व्यापार सुगमता और स्पष्टता को बढ़ावा देंगे।
- उच्च FDI प्रवाह को प्रोत्साहित करेंगे तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, घरेलू मूल्य संवर्धन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकरण को बढ़ावा देंगे।

- ये भारत की स्थिति को एक आकर्षक निवेश और विनिर्माण गंतव्य के रूप में सुदृढ़ करेंगे, आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करेंगे तथा समग्र आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देंगे।

2020 के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नियम

- भारत सरकार ने COVID-19 महामारी के दौरान वित्तीय रूप से कमजोर भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने हेतु प्रेस नोट 3 (2020) जारी किया।
- प्रारंभ में यह केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान पर लागू था, लेकिन 2020 में इसे सभी पड़ोसी भूमि-साझा सीमा वाले देशों, जिनमें चीन भी शामिल है, तक विस्तारित किया गया।

Source :TH

संक्षिप्त समाचार

सावित्रीबाई फुले

संदर्भ

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सावित्रीबाई फुले की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

सावित्रीबाई फुले (1831–1897) के बारे में

- **जन्म:** महाराष्ट्र के सतारा ज़िले के नायगाँव गाँव में।
- **विवाह:** 1840 में नौ वर्ष की आयु में उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिराव फुले से हुआ।
- भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में औपचारिक मान्यता। 1848 में दंपति ने पुणे के भिडेवाड़ा में देश का प्रथम कन्या विद्यालय स्थापित किया।
- 1863 में ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने *बालहत्या प्रतिबंधक गृह* की स्थापना की, जो शिशुहत्या रोकने हेतु भारत का पहला आश्रय स्थल था।
  - उन्होंने अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह, सती प्रथा और दहेज प्रथा के उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधारों का समर्थन किया।
- 1873 में फुले दंपति ने *सत्यशोधक समाज* की स्थापना की, जो जाति, धर्म और वर्ग भेदभाव से परे सामाजिक समानता लाने का मंच था।
- **साहित्यिक कृतियाँ:** *काव्य फुले* (1854) और *बावन काशी सुबोध रत्नाकर* (1892)।

स्रोत: PIB

कुरुम्बा चित्रकला

समाचार में

- कुरुम्बा कला परंपरा घटते कलाकारों के कारण विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही है।

परिचय

- कुरुम्बा चित्रकला का इतिहास 3,000 वर्षों से अधिक पुराना है, जो तमिलनाडु के नीलगिरि क्षेत्र के *एझुथुपाराई* जैसे शैलचित्र स्थलों से जुड़ा है।
- इसे कुरुम्बा जनजाति द्वारा प्रचलित किया गया, जिसे विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- प्रारंभ में यह चित्रकला घरों और मंदिरों की दीवारों पर या उत्सवों के दौरान बनाई जाती थी। कलाकार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते थे, जो वृक्ष रेज़िन जैसे वन स्रोतों से प्राप्त होते थे।
- इन लोक चित्रों में अनुष्ठान, उत्सव, मधु-संग्रह, प्रकृति, पशु और सामुदायिक गतिविधियाँ सरल रेखाओं, बिंदुओं और ज्यामितीय आकृतियों के माध्यम से दर्शाई जाती हैं।

स्रोत: IE

वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026

संदर्भ

- नीति आयोग ने वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI 2026) का दूसरा वार्षिक संस्करण जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- **समग्र राज्य रैंकिंग:**
  - ओडिशा शीर्ष प्रदर्शनकारी राज्य बना रहा और अपने वित्तीय स्कोर में सुधार किया।

- गोवा और झारखंड भी उपलब्धि राज्यों में शामिल हुए।
- गुजरात और महाराष्ट्र शीर्ष पाँच में बने रहे।
- हरियाणा ने तीन स्थानों की प्रगति कर उल्लेखनीय सुधार दिखाया।

- **सुधार दर्शाने वाले राज्य:** बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना ने मध्यम स्तर का सुधार प्रदर्शित किया।
- **कमज़ोर प्रदर्शनकारी राज्य:** पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल लगातार निम्नतर स्तर पर बने रहे, जो स्थायी वित्तीय दबाव को दर्शाता है।
- **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य:**
  - सर्वप्रथम अलग से मूल्यांकन किया गया।
  - अरुणाचल प्रदेश राजस्व वृद्धि के आधार पर शीर्ष उपलब्धि राज्य रहा, इसके बाद उत्तराखंड।
  - हिमाचल प्रदेश और मणिपुर अपने राजस्व (GSDP का <5%) की कमजोरी और उच्च प्रतिबद्ध व्यय के कारण पिछड़े रहे।

नीतिगत सिफारिशें

- स्वयं के कर क्षमता को बढ़ाना (जैसे संपत्ति और उत्पाद शुल्क सुधार)।
- पूंजीगत व्यय को GSDP के 5% से अधिक तक बढ़ाना।
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को डिजिटलीकरण के माध्यम से सुदृढ़ करना।
- ऋण स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु बजट से बाहर उधारी को नियंत्रित करना, ताकि ऋण अनुपात GSDP के 25-30% से नीचे रहे।

वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI)

- यह पहल भारत के राज्यों की वित्तीय स्थिति का आकलन करती है।
- **उप-सूचकांक:** व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संकलन, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता।
- सूचकांक के लिए आँकड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) से प्राप्त किए जाते हैं।

स्रोत: PIB

राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड (NSB)

समाचार में

सरकार ने वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत के शिपिंग क्षेत्र की उभरती चुनौतियों का समाधान करने हेतु राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड (NSB) के साथ उच्च-स्तरीय वार्ता की।

राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड (NSB) के बारे में

- यह भारत का सर्वोच्च परामर्शी निकाय है, जो शिपिंग और समुद्री मामलों पर सलाह देता है।
- इसकी स्थापना *मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958* की धारा 23 के अंतर्गत की गई थी।
- यह *बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय* के अधीन कार्य करता है।
- इसका मुख्य कार्य केंद्र सरकार को शिपिंग नीतियों और समुद्री विकास पर परामर्श देना है।
- इसके अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

स्रोत: PIB

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा 400 मिलियन बैरल आपातकालीन तेल जारी

संदर्भ

- पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच *अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)* ने 400 मिलियन बैरल आपातकालीन तेल भंडार जारी करने पर सहमति दी है। यह इसके इतिहास का सबसे बड़ा समन्वित रिलीज़ है।

परिचय

- **वैश्विक आपातकालीन भंडार:** IEA सदस्य देशों के पास सामूहिक रूप से 1.2 बिलियन बैरल सार्वजनिक आपातकालीन तेल भंडार और 600 मिलियन बैरल उद्योग भंडार हैं।
- इन भंडारों की स्थापना 1974 में *1973 अरब तेल प्रतिबंध* के बाद की गई थी, ताकि अचानक तेल आपूर्ति व्यवधानों से देशों की रक्षा की जा सके।
- IEA सदस्य देशों ने इससे पूर्व पाँच बार तेल रिलीज़ का समन्वय किया था:

- खाड़ी युद्ध (1990–1991)
- हरिकेन कैटरीना (2005)
- लीबियाई गृहयुद्ध (2011)
- रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दो बार (2022)।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)

- **स्थापना:** 1973–74 के तेल संकट के बाद औद्योगिक देशों को तेल आघातों से निपटने में सहायता हेतु।
- **मुख्यालय:** पेरिस, फ्रांस।
- **सदस्य देश:** 32 (जैसे अमेरिका, कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण कोरिया आदि)।
- **सहयोगी देश:** भारत, चीन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड आदि।
- **सदस्यता मानदंड:**
  - OECD का सदस्य होना आवश्यक।
  - विगत वर्ष के शुद्ध आयात के 90 दिनों के बराबर कच्चे तेल/उत्पाद भंडार।
  - राष्ट्रीय तेल खपत को 10% तक कम करने हेतु मांग नियंत्रण कार्यक्रम।
  - *समन्वित आपातकालीन प्रतिक्रिया उपाय (CERM)* को राष्ट्रीय स्तर पर संचालित करने हेतु विधायी और संगठनात्मक ढाँचा।

स्रोत: IE

तेहरान में 'ब्लैक रेन'

संदर्भ

- *विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)* ने तेल सुविधाओं पर हमलों के बाद तेहरान में "ब्लैक रेन" और विषाक्त वायु प्रदूषण की चेतावनी दी है।

"ब्लैक रेन" क्या है?

- "ब्लैक रेन" उस वर्षा को कहा जाता है जो कालिख, राख, तेल कणों और रासायनिक प्रदूषकों से दूषित होती है, जो बड़े अग्निकांड या विस्फोटों के बाद वातावरण में फैलते हैं।
- सामान्य जल बूंदों के स्थान पर यह वर्षा गहरे, तैलीय कणों को लेकर आती है, जिससे इसका रंग काला या धूसर दिखाई देता है।
- यह तब होती है जब बड़े अग्निकांड से प्रदूषक वायु में फैलते हैं और वर्षा जल इन कणों को अवशोषित कर ज़मीन पर पहुँचता है।
- ऐतिहासिक रूप से, ऐसा ही परिघटन 1945 में *हिरोशिमा और नागासाकी* पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद देखा गया था, जब रेडियोधर्मी कालिख और मलबा वर्षा जल में मिल गया था।

स्रोत: IE

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

संदर्भ

- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) किसानों को समय पर, सुलभ और बिना किसी गिरवी के ऋण उपलब्ध कराता है। इसमें छोटे, सीमांत, बटाईदार किसान तथा स्वयं सहायता समूह (SHGs) और संयुक्त देयता समूह (JLGs) शामिल हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना वर्ष 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादन हेतु अल्पकालिक संस्थागत ऋण तक सरल और शीघ्र पहुँच प्रदान करना था।
- यह कार्यशील पूंजी और सहायक गतिविधियों के लिए निवेश ऋण उपलब्ध कराता है तथा कटाई के बाद एवं विपणन व्यय को भी कवर करता है। इस प्रकार यह किसानों की आय बढ़ाने हेतु व्यापक वित्तीय सहयोग प्रदान करता है।
- *संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS)* के अंतर्गत ऋण सीमा ₹5 लाख तक बढ़ा दी गई है, जिसमें प्रति उधारकर्ता ₹2 लाख तक का ऋण बिना किसी गिरवी के उपलब्ध कराया जाता है।

पात्र लाभार्थी

- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) का लाभ निम्नलिखित को दिया जाता है:
  - व्यक्तिगत किसान और संयुक्त उधारकर्ता जो भूमि के स्वामी-कृषक हैं।
  - बटाईदार किसान, मौखिक पट्टेदार और हिस्सेदारीदार।
  - इसके अतिरिक्त, योजना में स्वयं सहायता समूह (SHGs) और संयुक्त देयता समूह (JLGs) भी शामिल हैं, जिनमें बटाईदार और हिस्सेदारीदार किसानों द्वारा गठित समूह भी सम्मिलित हैं।

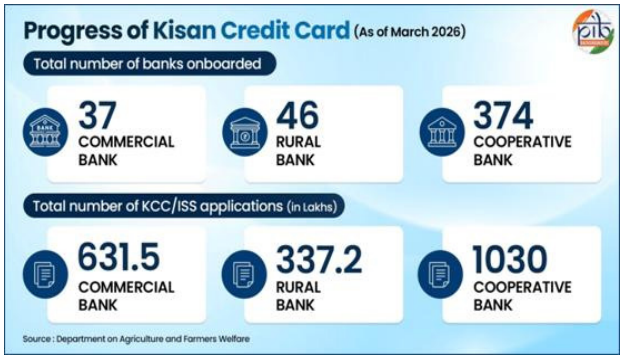

Source: PIB